. तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रमेश कुमार सुथार बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 80/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश कुमार सुथार गोदपुत्र भूराराम सुथार पता पीपली चौक, भीनमाल जिला जालोर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.04.18 में उसके द्वारा (1) मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवंम् समन्वय विभाग (अनुभाग–1), राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.26(2)प्र.सु/सम/अनु–1/2010 जयपुर दिनांक 19.10.2010 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो अत्यन्त खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अति.कलक्टर प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner